519
Received by For
Sr. Admn. Officer
Civil Court, Agra
07·X·24

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–1/751394/ सात–न्याय–3–2024–10 रिट / 2024
न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियां)
लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं की नियुवित, सम्बन्धित विविध कार्य एवं पदच्युत किये जाने के सम्बन्ध में नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा–3 के अन्तर्गत नोटरी नियुक्त करने की शक्ति–केन्द्रीय सरकार, सम्पूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए, किन्हीं विधि–व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाएं, नोटरी नियुक्त कर सकती हैं।

उ0प्र0 राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति, सम्बन्धित विविध कार्य एवं पदच्युत किये जाने के सम्बन्ध में नोटरी अधिनियम, 1952 एवं नोटरी नियम, 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा किया जाता है:–

धारा–8 के अन्तर्गत नोटरियों के कृत/कार्य निम्नलिखित है:–

(1) नोटरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई कार्य कर सकता है, अर्थातः–

(क) किसी लिखत के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना;

(ख) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र को प्रतिग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकना या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकना;

(ग) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र के अप्रतिग्रहण के लिए या असंदाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिये प्रसाक्ष्य करना या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन आदर का कार्य तैयार करना, या ऐसे नोट या प्रसाक्ष्य की सूचना तामील करना;

(घ) पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और लेखबद्ध करना;

(ड़) किसी व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथ पत्र लेना;

(च) बाटमारी और जहाजी माल बन्धपत्र, पोत भाटक पत्र और अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज बनाना;

(छ) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिये आशयित किसी दस्तावेज को ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप है जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है, तैयार करना, अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना;

(ज) एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और ऐसे अनुवाद को सत्यापित करना;

(जक) यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये तो, किसी सिविल या दांडिक विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये आयुक्त के रूप में कार्य करना;

(जख) यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, मध्यस्थ, विचौलिया या सुलहकार के रूप में कार्य करना;

(झ) कोई अन्य कार्य करना जो विहित किया जाए।

A.K.

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य उस दशा में सिवाय जब वह नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और पदीय मुद्रा के साथ किया गया है, नोटरी का कार्य नहीं समझा जाएगा।

धारा–10 के अन्तर्गत नामों का रजिस्टर से हटाया जाना-किसी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार, आदेश द्वारा, धारा 4 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती हैं यदि–

(क) वह हटाए जाने के लिए अनुरोध करता है; या

(ख) उसने संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय नहीं किया है; या

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(घ) यह विहित रीति से जांच करने के पश्चात, ऐसे वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बनाता है; या

(ड.) ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है; या

(च) अपने व्यवसाय के प्रमाण पत्र को नवीकृत नहीं कराता है।

2– नोटरी नियम, 1956 के अन्तर्गत नोटरी के व्यवसायिक या अन्य अवचार के अभिकथनों की जॉच विषयक नियम–13 में अर्न्तनिहित प्रावधानों के अनुसार नोटरी अवचार की जॉच या तो राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से एवं किसी नोटरी के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की गयी जायेगी तथा जॉच आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Vinod Singh Rawat
(विनोद सिंह रावत)
प्रमुख सचिव।
Date: 24-09-2024 14:46:35

संख्या–1/151394(1) / सात–न्याय–3–2024 तददिनांक।

(1) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
24/9/2024
(निकुंज मित्तल)
विशेष सचिव।

Order
Been sent to Copy Assessment Committee for compliance ... necessary action accordingly.

District Judge
Agra
7/10/24

Seen, paste at the public place in court premises for information of all concerned
21/11/2024